

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficeerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक- 355

/FP/UK/MIN/147953/2021 दिनांक: देहरादून 02 अगस्त, 2022

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली- पिन- 110003।

विषय:- जनपद- नैनीताल के खनन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत दाबका नदी तल के 112.00 है0 में उप खनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर को 10 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या-8-61/1999-F.C. (Pt. V) दिनांक 10.05 2022।
महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 10.05.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 124/12-1 दिनांक 25.07.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

S.No	आपत्ति	प्रतिउत्तर
I.	As per DSS analysis, out of total area of 115.60 ha (Software estimated), 2 ha falls under MDF, 2 ha under OF and remaining 111 ha as non-wooded category. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.4 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the state.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 112.00 है0 लिया गया है जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था, जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।
II.	Corbett Tiger Reserve is located at a distance of approximately 0.9 km from the boundary of the area proposed for diversion. As per the direction contained in the Supreme Court order dated 04.08.2006, mining within 1 km distance from the boundary of any PAs is prohibited. Therefore, State Government needs to furnish their considered opinion on the proposal vis-à-vis direction contained in Hon'ble Supreme Court order dated 04.08.2006.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से उपखनिज चुगान क्षेत्र की हवाई दूरी निकटतम 11.02 किमी0 एवं कॉर्बेट टाईगर रिजर्व से निकटतम दूरी 6.6 किमी0 आंकलित की गई है, जिसको वन विभाग उत्तराखण्ड की आई0टी0 सेल देहरादून से प्रमाणित कराया गया है। (संलग्नक-01) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 अगस्त 2006 में निहित निर्देश के अनुसार पी0ए0 की सीमा से 01 किमी0 से अधिक दूरी है।
III.	Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 233 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी, दाबका नदी प्रस्ताव के स्वीकृत उप खनिज चुगान प्रस्ताव के सापेक्ष कराये गये क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों का विस्तृत विवरण एवं उनकी KML File (मय सी.डी.)। (संलग्नक-02)
IV.	Examination of the Mining Scheme submitted along with the proposal revealed the following :	

a.	Proposal has been submitted only for 112.0 ha while the Mining Scheme has been approved for an area of 233 ha. The discrepancy needs to be rectified by the State.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि खनन योजना पूर्व में स्वीकृत वन स्वीकृति हेतु बनाई गई है, जो मई 2023 तक के लिए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून से स्वीकृत है। वर्तमान वन स्वीकृति प्रस्ताव 112.00 है0 हेतु प्रस्तावित है जो कि पूर्व में पंचलगढ़ संरक्षित रिजर्व बनाये जाने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून की पत्र सं0-875/1 जी0-2756/दिनांक 09.10.2012 द्वारा 223.00 है0 से 112.00 है0 क्षेत्रफल सूचित किया गया था। (संलग्नक-03)
b.	Chapter – 12 of Mining Plan mentions that sandy soil will be removed during mining operations and precautionary measure will be undertaken for its storage. However, Details of measures and area earmarked for its storage have not been addressed in the Mining Plan.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि Sandy soil का निष्पादन प्रस्ताव के साथ संलग्न खनन योजना के अध्याय-05 के अन्तर्गत Proposed Method Of Mining में उल्लेखित किया गया है, किन्तु वर्तमान में आर0बी0एम0 उपखनिज चुगान का कार्य एफ0सी0 में दी गई शर्तों के अनुसार ही श्रमिकों के माध्यम (By Hand tool Manual Method) से किया जाता है।
c.	Land use/Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, Storage of top soil, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Plan. The same needs to be furnished by the State.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन हेतु उपयोगी क्षेत्र 112.00 है0 है। सतही मृदा (Top Soil) व Over Burden के भण्डारण हेतु Waste Dump का क्षेत्रफल 1.066 है0 है। वाहन के आवागमन हेतु Approach Road अथवा आधारभूत संरचना (Infrastructure) के लिए 1.832 है0 वन भूमि का उपयोग किये जाने का प्राविधान है जिसे अनुमोदित खनन योजना की प्लेट सं0-06 व 07 में दर्शाया गया है।
d.	Proposal for renewal of approval under FC has been submitted for a period of 10 years while Mining Plan/ Mining Scheme have been approved for a period of 3 years (Pg 142/c).	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में F.C. (वन स्वीकृति) की निर्धारित तिथि 14 फरवरी 2023 तक ही स्वीकृत है, जिस कारण खनन योजना F.C. (वन स्वीकृति) के अनुसार 03 वर्षों के लिए ही प्राप्त हुई। आगामी 10 वर्षों हेतु पुनःप्रस्ताव आवेदित किया जा रहा है, जिस हेतु आगामी वर्षों के लिए खनन योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।
e.	Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the state providing the full details of the land use, mining area, its reclamation, etc.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आगामी वर्षों के लिए खनन योजना में बिन्दु का समावेश कर लिया जायेगा।
V.	Status of District Survey Report, if any, prepared by the state Government in Nainital District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining – 2019 issued by the Ministry vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नैनीताल जिले की खनन योजना प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-04)
VI.	The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के अनुरूप है। (संलग्नक-05)
VII.	Estimation of cost benefit ratio does not account for all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure –III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980. Therefore, cost	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ अनुपात का अनुमान सम्मिलित किया गया है। (संलग्नक-06)

	benefit analysis needs to be re-visited by the State to ensure accounting of all specified parameters using appropriate techno-economic tools.	
VIII.	As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आरबीएम की विक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभागों को दिया जाता है गत 10 वर्षों का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-07)
IX.	Detail of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व स्वीकृत वन स्वीकृति की एसओपीओवी की धनराशि का विवरण व SMC कार्यों का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-08)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एसओएसओ रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 263 / FP/UK/MIN/147953/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 124/12-1 दिनांक 25.07.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

02/08/22
(एसओएसओ रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,